

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 अप्रैल 2026—वैशाख 8, शक 1948

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2026

क्रमांक ENV/0278/2025-Sec-1-66(ENV) - भारत सरकार द्वारा असाधारण राजपत्र क्रमांक सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022024-252144 दिनांक 15 फरवरी 2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 में संशोधन करते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 (2024 का 5) प्रकाशित किये गये हैं।

2/- भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 (2024 का 5) मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किये जाने का संकल्प पारित किया गया है।

3/- अतः राज्य शासन एतद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 (2024 का 5) को मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत करता है।

File No. ENV/0278/2025-Sec-1-66(ENV) – The Government of India has published the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 (5 of 2024) amending the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 vide Extraordinary Gazette No. CG-DL-A-16022024-252144 dated 15 February 2024.

2/- In pursuance of clause (2) of Article 252 of the Constitution of India, the Madhya Pradesh Legislative Assembly has passed a resolution to adopt the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 (5 of 2024) in the State of Madhya Pradesh.

3/- Therefore, the State Government hereby adopts the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 (5 of 2024) in the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय नथानियल, अवर सचिव.